

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ 1(बी)(4)(107)सीटीएडी / 2012 /

दिनांक :

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार द्वारा घोषित 60 दिवसीय कार्य योजना में वर्णित बिन्दु संख्या-7 अनुसार प्रतापगढ़ जिले की पीपलखूंट पंचायत समिति में राजस्थान अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2008-12 के क्रियान्वयन के परिपेक्ष्य में प्रतापगढ़ जिले की पीपलखूंट पंचायत समिति में निवासित जनजातियों के वन अधिकार सम्बन्धी दावों के पुनरीक्षण हेतु विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना है।

अतः उक्त कार्य की प्रगति के पर्यवेक्षण हेतु श्री सुधांशु सिंह, उप निदेशक (सु.व्य.) को लगाया जाता है।

६०

(जगमोहन सिंह)
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

क्रमांक एफ 1(बी)(4)(107)सीटीएडी / 2012 / 2719-25
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 10-2-2014

1. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. श्री सुधांशु सिंह, उप निदेशक (सु.व्य.) कार्यालय हाजा।
4. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, कार्यालय हाजा।
5. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ़।
6. वन प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
7. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)